न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

UPSD010005022026

Bail Application/252/2026

रमेश गुप्ता पुत्र सूर्यबली

साकिन प्रतापपुर थाना बांसी जिला सिद्धार्थनगर।

-----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उ०प्र० आदि

----विपक्षी/आपत्तिकर्ता

फौ० परिवाद सं०–53–2023

धारा–147,323,325,452,504 IPC व

3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना–बांसी, जिला सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांक–24–03–2026</u>

अभियुक्त रमेश गुप्ता की ओर से 53–2023 धारा–147,323,325,452,504 IPC व 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना–बांसी जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थी बेगुनाह एवं निर्दोष है, महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी मुकदमें में फंसाए गए है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित ही हुई हैं। प्रार्थी सभ्य नागरिक है प्रार्थी द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी मुकदमा के साथ किसी भी तरह से कोई गाली गलौज व जान माल की धमकी देते हुए मार पीट कर चोटें नहीं पहुँचाई गयी हैं, न ही जातिसूचक शब्दो का इस्तेमाल करते हुए गाली दिया गया है एवं न ही कोई नुकसान कारित किया गया है। प्रार्थी के ऊपर आयत धाराएं एस.सी एसटी छोड़कर सभी धाराए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी संभ्रान्त परिवार के व्यक्ति है जिससे अन्देशा मफरूरी हरगिज नहीं है एवम् अदालत द्वारा आहूत किए

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.24 16:31:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने पर प्रार्थी बराबर हाजिर आते रहेगा, तथा प्राप्त जमानत का दुरुपयोग नही करेंगे। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी मुकदमा को जारी नोटिस तामील होकर के प्राप्त है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन खारिज किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के अलावा अन्य अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर रहा है। दौरान अन्तरिम जमानत अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रकरण परिवाद पर संस्थित है। थाने की आख्या अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रमेश गुप्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0-25,000/-(पच्चीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनॉकः-24-03-2026

(मनोज कुमार तिवारी-I)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736